न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर

पीठासीन अधिकारी : शकुन्तला, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 27 / 2021

जी.सी.एम.एस. नं.: 2021 / 45

1. संतोख सिंह पुत्र चन्दा रिंह जाति कम्बोसिख निवासी 12 जीबी तहसील श्रीविजयनगर

—: प्रार्थी

बनाम

1. गुरदीप कौर पत्नी मोहन सिंह जाति कम्बोसिख निवासी 12 जीबी तहसील श्रीविजयनगर
2. सुखविन्द्र सिंह पुत्र मोहन सिंह जाति कम्बोसिख निवासी 12 जीबी तहसील श्रीविजयनगर
3. मनजीत कौर पुत्री मोहन सिंह जाति कम्बोसिख निवासी 12 जीबी तहसील श्रीविजयनगर
4. नरेन्द्र कौर पत्नी परविन्द्र सिंह जाति कम्बोसिख निवासी 12 जीबी तहसील श्रीविजयनगर हाल निवासी वार्ड नं. 5, डबली वास कुतुब, 11 एसटीजी आवादी पीओ डबली राठान, 34 एसएसडब्लू जिला हनुमानगढ़
5. जसनप्रीत सिंह पुत्र परविन्द्र सिंह जाति कम्बोसिख निवासी 12 जीबी तहसील श्रीविजयनगर हाल निवासी वार्ड नं. 5 डबली वास कुतुब, 11 एसटीजी आवादी पीओ डबली राठान, 34 एसएसडब्लू जिला हनुमानगढ़ नावालिग जरिऐ कुदरतीवली एवं संरक्षक माता नरेन्द्र कौर
6. सिमरनजीत कौर पुत्री परविन्द्र सिंह जाति कम्बोसिख निवासी 12 जीबी तहसील श्रीविजयनगर हाल निवासी वार्ड नं. 5 डबली वास कुतुब, 11 एसटीजी आवादी पीओ डबली राठान, 34 एसएसडब्लू जिला हनुमानगढ़ नावालिग जरिऐ कुदरतीवली एवं संरक्षक माता नरेन्द्र कौर
7. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर

—: अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :—

1. **श्री नवीन कुमार मिढ़ा, अधिवक्ता प्रार्थी**
2. **श्री साहिब बाघला, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 से 6**
3. **राजपैरोकार**

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 24/7/...

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि :—

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:53:30 IST
Reason: SelfAttested

1. प्रार्थी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी [illegible] भूमि चक 12 जीबी ए प.नं. 148 / 393 मु.नं. 11 कि.नं. 8 / [illegible] 13 का 0.253है. कि.नं. 18 का 0.253है. कुल 0.512है. [illegible] कृषि औजार लाने ले जाने के लिए अप्रार्थीगण की भूमि चक 12 जीबी ए प.नं. 148 / 393 मु.नं. 11 कि.नं. 23 में डेढ बिस्वा यानि 12 फीट [illegible]ड़ाई में एवं 165 फीट [illegible] में बटलाईन के साथ साथ दक्षिण से उत्तर की ओर रास्ता स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया।
2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण जरिए अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी ने कभी अप्रार्थीगण से सम्पर्क कर रास्ते की मांग नहीं की तथा ना ही अप्रार्थी सं. 1 ता 6 द्वारा कभी रास्ते बाबत इंकार किया गया है।

प्रार्थी को अपनी भूमि में आने जाने के लिए अन्य विकल्प उपलब्ध है। प्रार्थी अप्रार्थीगण की भूमि में से रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। कि.नं. 23 अप्रार्थीगण द्वारा पूर्व में प्रार्थी से ही खरीद किया गया है। प्रार्थी द्वारा कि.नं. 23 अप्रार्थीगण को बेचान करने के बाद प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के कि.नं. 8/1 की 0.510है. रकबा के साथ मौखित तबादला करते हुए कि.नं. 8/1 के तबादला में कि.नं. 18 के दक्षिण दिशा में जगह अप्रार्थीगण को दे दी। कि.नं. 8/1 लेने के बाद 3–3 फुट गहरी मिट्टी उठवा कर बेचान कर दी। कि.नं. 23 के साथ चिपता कि.नं. 22 व 10,11,12,19,20,21 कुल 7 बीघा रकबा प्रार्थी के परिवार की महिला रूपिन्द्र कौर के नाम से है तथा रूपिन्द्र कौर व उसके परिवारवालों द्वारा रूपिन्द्रकौर के नाम की बीघों में से भी मिटटी उठवा कर बेचान कर दी है। यानि प्रार्थी व उसके परिवार के सदस्य अपनी भूमि में से मिटटी ईंट भट्टा के मालिको से मिल कर उनको अनुचित राशि में बेचान कर रहे है। यदि प्रार्थी रास्ता चाहता है तो कि.नं. 18 से पश्चिम दिशा की तरफ मुडकर कि.नं. 18 से 22 में प्रवेश कर जो प्रार्थी के परिवार का ही रकबा है में से रासता स्वीकृत करवा कर आगे मुख्य रास्ता से जुड़ सकता है। कि.नं. 22 के कृषक रूपिन्द्र कौर को पक्षकार नहीं बनाया है। अप्रार्थीगण को हैरान परेशान करने के आश्य से प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी अप्रार्थीगण की भूमि में से रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। भूमि अप्रार्थीगण की संयुक्त खाता में है। खाता विभाजन से पूर्व प्रार्थी अप्रार्थीगण की भूमि में से कानूनन रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थना पत्र विधि द्वारा वर्जित होने के कारण निरस्त योग्य है। प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।

3. बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। वकील प्रार्थी निवेदन किया कि प्रार्थी को अपनी भूमि में आवागमन हेतु स्वीकृतशुदा मार्ग नहीं है न ही अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ता स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया। अधिवक्ता अप्रार्थीगण जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों दोहराया और कथन किया कि प्रार्थी के पास अन्य वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है कि.नं. 22 प्रार्थी के परिवार के सदस्य के नाम से है जिसे पक्षकार नहीं बनाया है। अप्रार्थीगण को परेशान करने के उद्देश्य से प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी अप्रार्थीगण की संयुक्त खाता की भूमि में से खाता विभाजन से पूर्व रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।

4. प्रकरण में तहसीलदार श्रीविजयनगर से मौका जांच रिपोर्ट तलब की गयी थी। तहसीलदार श्रीविजयनगर द्वारा मौका जांच रिपोर्ट क्रमांक/476 दिनांक 27.06.2025 द्वारा प्राप्त हो चुकी है। बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण की भूमि चक 12 जीबी ए मु.न. 11 कि.नं. 23 में 165 गुणा 12 वर्गफुट रास्ता अपनी भूमि कि.नं. 18 में प्रवेश के प्रयोजनार्थ चाहा है, जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा अन्य वैकल्पिक मार्ग होने का कथन करते हुए आपत्ति प्रकट की गयी है। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार श्रीविजयनगर प्रार्थी खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि में जाने हेतु निकटतम रास्ता प.नं. 148/394 (18) कि.नं. 1 ता 5 में स्वीकृतशुदा रास्ता है, खातेदार प.नं. 148/393(11) कि.नं. 23 से अपनी [illegible] कि.न. 18 में प्रवेश कर सकता है। तहसीलदार श्रीविजयनगर के द्वारा [illegible] के दिनांक 01.10.2021 द्वारा प्रेषित रिपोर्ट भू.अ.नि. अनुसार [illegible] वैकल्पिक मार्ग नहीं है। निकटतम व लघुतम मार्ग है। रिपोर्ट [illegible] के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा का अवलोकन किया। न्यायालय का यह [illegible]धान हो गया है कि प्रार्थी द्वारा की जा रही रास्ते की मांग अत्यांतिक आवश्यकता है। वैकल्पिक मार्ग का अभाव है तथा चाहा गया रास्ता निकटतम मार्ग है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:53:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

–: आदेश :–

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राज.काश्त.अधि. स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी सं. 1 से 6 की भूमि चक चक 12 जीबी ए प.नं. 148/393 मु.नं. 11 कि.नं. 23 में पश्चिमी

पासा उत्तर से दक्षिण 12 फुट चौड़ाई का गै.मु. रास्ता स्वीकृत किया जाता है। प्रार्थी रास्ते में आई भूमि की एवज में अप्रार्थीगण को रास्ते में आई भूमि की डीएलसी दर की दो गुणा राशि अदा करेगा। तहसीलदार श्रीविजयनगर प्रतिकर की गणना कर प्रार्थी से नियमानुसार राशि जमा करवा स्वीकृतशुदा गै. मु. रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें तथा अप्रार्थीगण सं. 1 से 6 को जमाशुदा प्रतिकर राशि का उनके अंश अनुसार भुगतान करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 24/7/25 **को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

शकुन्तला
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर

उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:53:30 IST
Reason: SelfAttested